भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1205

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2023 को दिया जाना है।

.....

शहरी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़

1205. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही के वर्षों में शहरी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से भारी आर्थिक हानि हुई है;

(ख) क्या सरकार नें बाढ़ प्रवण राज्यों में शहरी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए भू-जल पुनर्भरण तकनीकों और अन्य प्रकृति आधारित समाधानों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्मित कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की संख्या के संबंध में राज्य-वार आंकड़े, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में, क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़ के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): शहरों में आने वाली बाढ़ का प्रमुख कारण अधिकतर कम अवधि में होने वाली तेज वर्षा होती है जो अनियोजित बढ़ोत्तरी, प्राकृतिक जल निकायों के अतिक्रमण, खराब जल निकासी प्रणाली आदि के कारण और अधिक जटिल हो जाती है। शहरी बाढ़ का प्रबंधन करना राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है जिन पर जल निकासी और सीवरेज प्रणाली के रखरखाव का दायित्व होता है। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुष्टि प्राप्त होने के बाद भारी वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान के आंकडे संकलित किए जाते हैं। पिछले दस वर्षों 2012 से 2021 तक हुए नुकसान का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में शहरी बाढ़ से निपटने के लिए भूजल पुनर्भरण और अन्य प्रकृति आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से भूजल कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है,

जिसमें परियोजना की व्यापक रूपरेखा और अपेक्षित निवेश प्रदान किया गया है। मास्टर प्लान में 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) जल का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। मास्टर प्लान को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उपयुक्त उपायों के लिए साझा किया गया है। इस संबंध में अन्य पहलें इस प्रकार हैं-

(i) भारत सरकार देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) कार्यान्वित कर रही है जिसमें वर्षा जल संचयन/भूजल पुनर्भरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पहला जल शक्ति अभियान 2019 में 256 जिलों में जल की कमी वाले ब्लॉकों में शुरू किया गया था, जो वर्ष 2021, 2022 के दौरान (पूरे देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में) भी जारी रहा जिसका प्रमुख उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड प्रबंधन, पुनर्भरण और पुन: उपयोग संरचनाओं, सघन वनीकरण और जागरूकता सृजन आदि के माध्यम से मानसूनी वर्षा का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना है। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान-2023 को "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" विषय के साथ शुरू किया गया है।

(ii) आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों के विकास और पुनरूद्धार के उद्देश्य से वर्षा जल संचयन/पुनर्भरण के लिए अमृत सरोवर मिशन शुरू किया गया है।

(iii) केन्द्र सरकार गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जल की कमी वाले क्षेत्रों में राज्यों के सहयोग से 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ग्रामीण स्तर पर स्थानीय समुदायों की भागीदारी से अटल भूजल योजना कार्यान्वित कर रही है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत, भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और तदनुसार जल बचत कार्यकलापों जैसे सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली) का उपयोग, फसल पैटर्न को जल की सघनता वाली फसलों से जल की कम सघनता वाली फसलों की ओर ले जाना, मल्चिंग आदि को प्रोत्साहित करते हुए बढ़ावा दिया जा रहा है।

(iv) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत जल निकायों में स्टार्म वाटर ड्रेन्स (जहां सीवेज/बहिस्राव नहीं जा रहा है) और जल निकाय के चारों ओर स्टार्म वाटर ड्रेन्स के सृजन/सुदृढ़ीकरण के माध्यम से वर्षा जल संचयन के प्रावधान किए गए हैं।

(v). आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मॉडल भवन उप-नियम, 2016 तैयार किए हैं। मॉडल भवन उप-नियम, के अनुसार, 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भवनों में अनिवार्य रूप से वर्षा जल संचयन का पूरा प्रस्ताव शामिल होना चाहिए। 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उप-नियमों की विशेषताओं को अपना लिया है।

(ग): भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा की गई गतिविधियों के अलावा, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने तीन अकांक्षी जिलों उस्मानाबाद (महाराष्ट्र), वाईएसआर कडपा (आंध्र प्रदेश) और जनगांव (तेलंगाना) में कृत्रिम पुनर्भरण कार्य को कार्यान्वित किया है।

इन जिलों में, भूजल के पुनर्भरण को बढ़ाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर प्रवाहित जल को संग्रहित करने के लिए 176 संरचनाओं का निर्माण किया गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने महाराष्ट्र राज्य के वर्धा और अमरावती जिलों में पांच स्थानों पर भूजल पुनर्भरण के लिए ब्रिज सह बंधारा (बीसीबी) भी लागू किया है। 'राजस्थान के चिन्हित जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से भूजल संवर्धन' परियोजना के तहत सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जोधपुर, जैसलमेर और सीकर जिलों में 2 अर्थ डैम, 55 चेक डैम, 24 एनीकट और 1 रिचार्ज शाफ्ट वाली रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में जल शक्ति अभियान के तहत कार्यान्वित जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाएं **अनुलग्नक- II** में दी गई हैं।

(घ) : इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय जल नीति (2012) अन्य विषयों के साथ-साथ यह समर्थन करती है कि नदियों, नदी गलियारों, जल निकायों और बुनियादी ढांचे का संरक्षण सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास के माध्यम से प्रचलित कानूनों के अनुसार बाढ़, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को संतुलित करने के लिए जल निकायों और वाटर कोर्स और/या संबंधित आर्द्रभूमियों, बाढ़ मैदानों, पारिस्थितिक बफर और विशिष्ट सौंदर्य मनोरंजन और/या सामाजिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक क्षेत्रों की भंडारण क्षमताओं को एकीकृत तरीके से यथासंभव प्रबंधित किया जा सकता है।

शहरी बस्तियाँ, अतिक्रमण और जलाशयों के संरक्षित अपस्ट्रीम क्षेत्रों में कोई भी विकासात्मक गतिविधियों को सख्ती से विनियमित किया जाना चाहिए जो संदूषण, प्रदूषण, कम पुनर्भरण का संभावित खतरा पैदा करते हैं और वन्य जीवन और मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, (एमओएचयूए) ने वर्ष 2017 में शहरी बाढ़ पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है और तूफान जल निकासी प्रणालियों की योजना, अभिकल्प, संचालन और रखरखाव पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और अन्य हितधारकों की सहायता करने और शहरी बाढ़ के मद्देनजर बचाव और सेवाओं की बहाली सहित तैयारियों और आपातकालीन कार्यों के स्तर को बढ़ाने के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की सहायता करने के लिए स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम, 2019 पर मैनुअल प्रकाशित किया है।

****

अनुलग्नक-।

"शहरी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़" के संबंध में दिनांक 31.07.2023 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1205 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

भारत में 2012 से 2021 के दौरान बाढ़/भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	प्रभावित क्षेत्र मिलियन हेक्टे.में	प्रभावित आबादी मिलियन में	फसलों को नुकसान		घरों का नुकसान		मवेशियों के नुकसान की संख्या	मानव हानि की संख्या	जन सुविधाओं का नुकसान करोड़ रूपए रू. में	फसल, घरों और जन सुविधाओं की हानि करोड़ रू. में (स्तंभ.6+8+11)
			क्षेत्रफल मिलियन हेक्टे. में	मूल्य करोड़ रूपए में	संख्या	मूल्य करोड़ रूपए में				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2012	2.14	14.69	1.95	1534.11	174526	240.57	31558	933	9169.97	10944.65
2013	7.55	25.93	7.48	6378.08	699525	2032.83	163958	2180	38937.84	47348.75
2014	12.78	26.51	8.01	7255.15	311325	581.98	60196	1968	7710.95	15548.08
2015	4.48	33.20	3.37	17043.95	3959191	8046.97	45597	1420	32200.18	57291.10
2016	7.06	26.55	6.66	4052.72	278240	114.68	22367	1420	1507.93	5675.33
2017	6.08	47.34	4.97	8951.98	1252914	9384.02	26673	2063	12329.85	30665.85
2018	7.72	37.40	2.51	3708.19	913414	2508.66	60279	1839	12132.92	21849.97
2019	11.60	46.35	10.69	10902.35	656595	462.79	25852	2754	4498.39	15868.53
2020	6.90	26.79	6.55	5626.02	239539	272.10	46911	1474	5458.01	21194.17
2021	16.75	38.56	7.79	22809.18	461205	3960.07	64880	1371	25244.61	49617.62

अनुलग्नक-II

"शहरी क्षेत्रों में आने वाली बाढ़" के संबंध में दिनांक 31.07.2023 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1205 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में जल शक्ति अभियान के तहत कार्यान्वित जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाएं

क्र.सं.	**संरचनाएं**	**22.03.2021 से 28.03.2022**	**29.03.2022 से 03.03.2023**	**04.03.2023 से 28.07.2023**
1	चैक बांध	622	774	408
2	तालाब/टैंक	53417	43093	22015
3	ट्रैंच	2963	2237	1347
4	छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाएं	103	6	17
5	अन्य वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाएं	530	214	122
6	अन्य वर्षा जल संरक्षण संरचनाएं	39273	32500	12413

****